

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1851
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण

1851. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री सतीश कुमार गौतम:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री विजय बघेल:

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री लुम्बाराम चौधरी:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

डॉ. भोला सिंह:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री आलोक शर्मा:

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

श्री मनोज तिवारी:

सुश्री कंगना रनौत:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री जगदम्बिका पाल:

डॉ. हेमांग जोशी:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री नव चरण माझी:

श्री जनार्दन मिश्रा:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री खगेन मुर्मु:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री भर्तृहरि महताब:

डॉ. लता वानखेडे:

श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2025-26 के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार और कृषि जलवायु क्षेत्रवार कितनी प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;
- (ख) उक्त योजना के माध्यम से भूमिगत पाइप सिंचाई के अंतर्गत कुल कितने कृषि भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) को शामिल किए जाने की योजना है;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के लिए अब तक आवंटित और जारी की गई कुल निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़ा अथवा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में इस योजना में किसानों की आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) महाराष्ट्र में पालघर जिले में ऐसी जल प्रबंधन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (च) एम-सीएडीडब्ल्यूएम मध्य प्रदेश, विशेषकर देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास में किस प्रकार सहायक होगा;
- (छ) क्या इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है; और
- (ज) क्या दाहोद जैसे जनजाति बहुल जिलों में किसानों की आय में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.04.2025 को कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) योजना को अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार के विभाग एम-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया में हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को शामिल करने संबंधी अंतिम निर्णय उनकी व्यवहार्यता और राज्य बजटीय सहायता की उपलब्धता के अधीन होगा।

(ख): इस योजना की पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भूमिगत पाइप सिंचाई के माध्यम से कवर करने की योजना है।

(ग): इस योजना का कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 1100 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के अंतर्गत अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (च): एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि के कोई मात्रात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। इस योजना का उद्देश्य सुनिश्चित या सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करना, कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देना और जल उपयोगकर्ता समितियों (डब्ल्यूयूएस) के माध्यम से सहभागी शासन को प्रोत्साहित करना है। यह अनुमान लगाया है कि लगभग 80,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, और लगभग 4 लाख अप्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)-बी3 (अनुलग्नक में प्रति संलग्न) इस योजना से किसानों को होने वाले संभावित लाभों का विवरण उपलब्ध कराती है।

(ड): शून्य।

(छ): जी, नहीं।

(ज): ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

“कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण” के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 1851 के भाग (घ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एसओपी बी 3	किसानों के लिए एमसीएडी लाभ	वर्जन 5.25
------------	----------------------------	------------

क. एमसीएडी व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी होगा:

1. फसल उत्पादन में वृद्धि: जल स्रोतों को एक साथ लाने से, पीपीआईएन वर्ष भर खेती सुनिश्चित कर सकता है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और बिक्री के लिए अधिशेष उपलब्ध होगा।
2. फसलों का विविधीकरण: किसान उच्च-मूल्य वाली फसलों सहित विभिन्न फसलें उगा सकते हैं, जिससे आय में विविधता बढ़ेगी।
3. रोजगार सृजन: पीपीआईएन प्रणालियों की स्थापना और प्रबंधन से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
4. स्थिर आय: स्थिर पीपीआईएन फसल की लगातार पैदावार सुनिश्चित करेगा, जिससे किसानों की कमाई को स्थिरता मिलेगी।
5. बेहतर बाजार पहुंच: विपणन सुविधाओं के साथ बेहतर प्रशिक्षण और आत्मविश्वास से किसान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी उपज बेचने में सक्षम होंगे, और उनकी आय बढ़ेगी।
6. मूल्य संवर्धन: किसान उच्च रिटर्न के लिये अपनी उपज का मूल्य संवर्धन करते हुए प्रसंस्करण या पैकेजिंग का कार्य कर सकते हैं।
7. स्थानीय आर्थिक विकास: बढ़ी हुई किसान आय स्थानीय समुदायों में व्यय को प्रभावित करती है, जिससे मिनी ट्रैक्टर, ड्रोन, एग्री रोबोट आदि जैसे संबद्ध सामान के लिए अधिक व्यापार और रोजगार पैदा होते हैं।
8. ऊर्जा की बचत: पीपीआईएन के साथ, नहर या जीडब्ल्यू से पानी खींचने के लिए डीजल पंप/ इलेक्ट्रिक पंप लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे किसान के ऊर्जा बिल में समग्र बचत होगी।
9. एमसीएडी किसानों को सफल क्लस्टर/ क्षेत्रों के लिए एक्सपोज़र यात्रा प्रदान करता है और क्लस्टर में पीपीआईएन प्रणाली के निर्माण के पश्चात 5 वर्ष के लिए हैंडहोल्डिंग द्वारा निरंतर आत्मविश्वास बढ़ाता है।
10. सभी सरकारी योजनाओं अथवा सीएसआर पहल के साथ क्लस्टर के सेचुरेशन

से किसान को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

11. किसान केंद्रित: किसान की सभी शिकायतों का निपटारा जल उपयोगकर्ता सोसाइटी द्वारा किया जाएगा।

ख. एमसीएडी जल उपयोगकर्ता सोसायटी (डब्ल्यूएस) के साथ सामुदायिक स्तर पर लाभकारी होगा

1. एमसीएडी, डब्ल्यूएस के माध्यम से किसानों में स्वामित्व और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देगा। बेहतर जागरूकता और सशक्तिकरण के साथ, डब्ल्यूएस सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे और ग्रामीण आईटी क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ-साथ आकर्षक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक नए व्यावसायिक वातावरण निर्माण में सक्षम होंगे।
2. सामूहिक निर्णयन: डब्ल्यूएस किसानों को सिंचाई अवसंरचना की योजना, संचालन और प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं का समाधान हो।
3. जल आवंटन और वितरण: डब्ल्यूएस भाग लेने वाले किसानों के बीच जल के उचित आवंटन और वितरण के लिए उत्तरदायी है। वे फसल की जल आवश्यकताओं, मौसम और भूमि के आकार जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम स्थापित करते हैं।
4. संचालन एवं रखरखाव: डब्ल्यूएस नहरों, पाइपों और पंपिंग स्टेशनों जैसे सिंचाई अवसंरचना के संचालन और प्रबंधन का दायित्व निर्वाह करते हैं। वे नियमित रखरखाव गतिविधियां करते हैं, जल प्रवाह की निगरानी करते हैं और सिंचाई प्रणाली के कुशल संचालन को सुनिश्चित करते हुए किसी भी समस्या का समाधान या मरम्मत कार्य करते हैं।
5. संघर्ष समाधान: जल उपभोक्ता संघ (डब्ल्यूएस) जल उपयोगकर्ताओं के बीच संघर्षों या विवादों के समाधान में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे संवाद और वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे जल आवंटन, शेड्यूलिंग या अवसंरचना के उपयोग से संबंधित असहमतियों को दूर करने में मदद मिलती है। इससे किसानों के बीच सहयोग और सद्भाव बढ़ता है, संघर्ष कम होते हैं और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।
6. क्षमता निर्माण: डब्ल्यूएस अपने सदस्यों के बीच प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके क्षमता निर्माण को सुगम बनाता है। किसानों को जल-

कुशल कृषि पद्धतियों, फसल चयन, सिंचाई समय-सारिणी और जल-बचत तकनीकों पर मार्गदर्शन मिलता है। इससे किसानों को इष्टतम जल उपयोग और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त होता है।

7. वित्तीय प्रबंधन: डब्ल्यूएस सिंचाई परियोजना के वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करते हैं, जिसमें भाग लेने वाले किसानों से वाटर चार्ज या फीस वसूलना भी शामिल है। वे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, रिकॉर्ड का प्रबंधन करते हैं और सिंचाई प्रणाली के संचालन, प्रबंधन और भावी विकास के लिए निधियों का उपयोग करते हैं। उन्हें मौजूदा एफपीओ/एफपीसी/पीएसीएस से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
8. हितधारकों के साथ सहयोग: डब्ल्यूएस जल उपयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं और सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुँच और फंडिंग के लिए बाह्य संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।
9. आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए एमसीएडी, डब्ल्यूएस को एकमुश्त 50 लाख रूपए का मैचिंग ग्रांट प्रदान करता है। डब्ल्यूएस के लिए कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।
10. एमसीएडी, डब्ल्यूएस कार्यालय सह प्रशिक्षण भवन हेतु अवसरचना बनाने के लिए सुविधा प्रदान करता है जो कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर स्थानीय प्रदर्शनियों, तकनीकी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए एक स्थायी आधार हो सकता है।
11. एमसीएडी के अंतर्गत जल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए और खेत में पानी के कुशल उपयोग डब्ल्यूई को 90% तक करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी स्थापित प्रौद्योगिकियों के उपयोग साथ पीपीआईएन का ऑटोमेशन किया गया है।
12. एमसीएडी के अंतर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था की दिशा में सामाजिक उत्थान के लिए कदम उठाए जाएंगे। डब्ल्यूएस को शुरू से ही परियोजना निर्माण में शामिल किया जाएगा, परियोजना की सामाजिक निगरानी की जाएगी और अंततः सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (आईएमटी) के माध्यम से सिंचाई परिसंपत्तियों का स्वामित्व मिलेगा।
13. एमसीएडी के अंतर्गत सिंचाई विभाग का फोकस जल वितरण सेवा की गुणवत्ता

पर होगा। अब ओ एंड एम संग्रह क्लस्टर के इनलेट पर वॉल्यूमेट्रिक आधार पर होगा। डब्ल्यूएस से जल शुल्क संग्रह आसान, भ्रष्टाचार मुक्त और कुशलता से होगा।

14. एमसीएडी पानी के स्रोत के बारे में राज्य सरकार की सोच में नया आदर्श परिवर्तन प्रदान करेगा क्योंकि वन वाटर अप्रोच जीडब्ल्यू/एसडब्ल्यू/पुनः उपयोग किए गए पानी को लिंक करेगा और क्लस्टर स्तर पर कृषि, बागवानी, सीएडी, जल संसाधन जैसे कई विभागों को एकीकृत करेगा।
15. एमसीएडी अन्य सहायक सामग्री की मांग के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। डब्ल्यूएस के आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करने से सिंचाई/कृषि क्षेत्र, स्थानीय नौकरियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बूस्टर के लिए समग्र स्टार्टअप बूस्ट होगा।
16. एमसीएडी के अंतर्गत डब्ल्यूएस भविष्य में क्लस्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)/ पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप (4पी) के माध्यम से निजी वित्त की संभावना का पता लगा सकता है।
